File No.DNH-SMC0SANI(SWM)/5/2019-CO SMC

सिलवासा नगर पालिकाद

SILVASSA MUNICIPAL COUNCIL

दादरा एवं नगर हवेली, **/DADRA & NAGAR HAVELI,**

सिलवासा /SILVASSA

12/08/2019

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

चुकि, POP (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित वस्तुओ या मूर्तियो का अंतिम निष्पादन नदियों, तालाबों या अन्य जल- निकायो में करने से संबंधित जल- निकायों के जैविक एवं अजैविक घटकों पर प्रतिकूल असर पड़ता हैं तथा ऐसी POP की बनी वस्तु जल-पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं|

चुकि, उपनियम ४.५, दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (संचालन एवं प्रबंधन) उपनियम २०१८ के अनुसार सिलवासा नगर पालिका को ऐसी हानिकारक POP की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, संग्रहण, विक्रय तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने का अधिकार हैं|

इसलिए, मैं मुख्य अधिकारी (चीफ़ ऑफिसर), सिलवासा नगर पालिका, सिलवासा नगर पालिका की आज्ञानुसार यह सूचना जारी करता हूँ कि, सिलवासा नगर पालिका द्वारा अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए, ऐसी POP की मूर्तियाँ या अन्य ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम निष्पादन जल-निकायों में किया जाता हैं या ऐसा किए जाने की संभावना हैं, ऐसी सभी वस्तुओ के निर्माण, वितरण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग पर, सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंध १ नवंबर २०१९ से लागू किया जाएगा|

Signature valid
Digitally signed by MOHIT MISHRA
Date: 2019.08.12 18:58:17 IST
Reason: Approved

मुख्य अधिकारी
सिलवासा नगर पालिका
सिलवासा

Scanned by CamScanner